तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज दिदार खां बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 73 / 2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.06.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी दिदार खां पुत्र चांद खां जी पता ग्राम पोस्ट झंवर तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.04.18 में उसके द्वारा (1) दिनांक 02.11.2017 को मैनें जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर में आवेदन किया था, आवेदन पर की कार्यवाही की सूचना व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 650 दिनांक 25.05.18 प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि अपीलार्थी को कार्यालय पत्रांक 421 दिनांक 17.04.18 के द्वारा सूचित किया जा चुका है कि आवेदन पत्र में वर्णित प्रार्थना–पत्र दिनांक 02.11.17 कार्यालय की आवक पंजिका के कम संख्या 5362 दिनांक 06.11.17 पर दर्ज कर मूल ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर को प्रेषित किया गया है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी / प्रार्थी को नियत अवधि में सूचित किया जा चुका है कि उसका प्रार्थना–पत्र मूल ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर को प्रेषित किया गया अतः अपीलार्थी का यह कथन मानने योग्य नहीं है कि निर्धारित अवधि में उसे कोई उत्तर नहीं दिया गया। अपीलार्थी अब भी सूचना प्राप्त करने के लिए गंभीर है तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर के समक्ष सूचना प्राप्त करने का आवेदन करना चाहिए। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी सारहीन होने से निरस्त योग्य है, जो निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Scanned with CamScanner